HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14362/2026
CNR: RJHC020884622026 | URN: CRLMB / 26532U / 2026

Sohil S/o Israiel, R/o Mundpur Mewan, Police Station Khairthal, District Khairthal-Tijara (Rajasthan). (Presently Confined In Sub Jail, Kishangarh, District Alwar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14363/2026
CNR: RJHC020882162026 | URN: CRLMB / 26533U / 2026

Saleem S/o Jakir @ Jakir Hussain, R/o Mundpur Mevan, Police Station Khairthal, District Khairthal-Tijara, Raj. (Presently Confined At Sub Jail, Kishangarh Bas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta Mr. Anurag Pareek
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/10/2026

एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 257/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2),

112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **सोहिल** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने पुराने सिक्के व नोट बेचने के लुभावने विज्ञापन सोशल मीडिया पर जारी कर लोगों से साईबर ठगी कारित की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के मोबाईल व सिम के संबंध में दो शिकायतें समन्वय पोर्टल पर संस्थित होना बताया गया है, जिनमें से एक शिकायत सुनील चौधरी द्वारा 41,500 रूपये की दर्ज करवाई गई थी, जो अन्वेषण के दौरान परीक्षित ही नहीं हुआ है। केवल एक शिकायतकर्ता कृष्ण चन्द्र के कथन ही लेखबद्ध किये गये हैं। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 26.07.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी 19 वर्ष का युवक है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **सलीम** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने पुराने सिक्के व नोट बेचने के लुभावने विज्ञापन सोशल मीडिया पर जारी कर लोगों से साईबर ठगी कारित की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के संबंध में समन्वय पोर्टल पर कोई शिकायत संस्थित नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 26.07.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, जो धारा 304बी, 498ए भारतीय दण्ड संहिता का है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण पर संगठित रूप से किये जाने वाले साईबर अपराध का अभियोग है। प्रार्थी सोहिल के विरूद्ध समन्वय पोर्टल पर लगभग 1,58,000 रूपये की साईबर ठगी की दो शिकायतें दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त सलीम के संबंध में समन्वय पोर्टल पर साईबर ठगी की कोई शिकायत दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी–अभियुक्त सोहिल के संबंध में जो दो शिकायतें दर्ज होना बताया गया है, उनमें से एक शिकायतकर्ता के कथन लेखबद्ध नहीं किये गये हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी–अभियुक्तगण दिनांक 26.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी सोहिल के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है तथा प्रार्थी सलीम के विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, जो धारा 304बी, 498ए भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्तगण को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक दूसरे माह (alternatively) की 10 तारीख तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। संबंधित थानाधिकारी उनकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक दो माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

93-94/VISHAL SHARMA